15

ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केश सं0– 74 / 17–18

अमर कुमार बनाम् बबलू कुमार वगै0

–: आदेश :–

30.09.2021

वर्त्तमान वाद आवेदक अमर कुमार, पे0–प्रेम शंकर सिंह, सा0 व थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–बलबड्डा नं0–355, जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–200, रकवा– 10 धूर भूमि से विपक्षीगण बबलू कुमार व चंदन कुमार, पे0–स्व0 पाली राम, सा0 व थाना–बलबड्डा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तद्नुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक भूमि मौजा–बलबड्डा नं0–355, जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–200, रकवा– 10 धूर भूमि (चौहद्दी– उ0–जाली राम, द0–श्रीधर राम, पू0–अमर कुमार, पं0–विमल राम) आवेदक की पैतृक भूमि है। प्रासंगिक भूमि विवाद का निपटारा अंचल अधिकारी, मेहरमा के आदेश के अनुपालन में प्राईवेट अमीन के साथ अंचल अमीन द्वारा पैमाईस कर किया गया है, जिसे विपक्षी द्वारा मानने से इंकार किया गया है, जबकि अंचल अमीन द्वारा दिनांक–30.07.2016 को की गई पैमाईस पर आवेदक के दादा नंद किशोर राम एवं विपक्षी बबलू कुमार एवं चंदन कुमार द्वारा हस्ताक्षर कर सहमति प्रकट किया गया है। प्रासंगिक भूमि पर विपक्षी द्वारा अवैध रूप से निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा यथास्थिति लागू किया गया है। अंचल अमीन के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में भी विपक्षी द्वारा अवैध अतिक्रमण का उल्लेख है। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का अंचल अमीन का मापी प्रतिवेदन, नजरी नक्सा, राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जांच प्रति, आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन, पर्चा की छाया प्रति समर्पित करते हुए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–20(5) एवं 42 के तहत् प्रासंगिक भूमि से विपक्षीगण को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रासंगिक वाद विपक्षीगण को परेशान करने की नियत से लाया गया है। प्रासंगिक भूमि विवाद के निपटारा हेतु अंचल अमीन द्वारा प्रासंगिक भूमि का मापी कराकर सिमांकन किया गया है। पूर्व में प्रासंगिक मौजा अंतर्गत दाग नं0–198 के अंदर कुल रकवा– 00–08–03 धूर भूमि पर आवेदक द्वारा वाद लाया गया था, जो वर्त्तमान में आवेदक के दखल कब्जा में है। पुनः आवेदक प्रासंगिक मौजा अंतर्गत दाग नं0–200 के अंदर कुल रकवा– 10 धूर भूमि का सीमांकन हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को आवेदन दिया गया था, जिसके आलोक में अंचल अमीन द्वारा प्रासंगिक भूमि की मापी की गई। प्रासंगिक दाग नं0–200 में पं0 तरफ 103 कड़ी पहले से होने के बावजूद अंचल अमीन द्वारा सरकारी मापी कर 103 कड़ी को बढ़ा कर 109 कड़ी कर दिया गया, जो गलत है। यहां 06 कड़ी वृद्धि करने के बजाय 06 फीट चौड़ा द0 से उ0 तथा 80 फीट पं0 से पू0 दे दिया गया, जिसमें आवेदक के दादा एवं पिता का हक है। इसे विपक्षीगण स्वीकृत करते हैं। बावजूद इसके गलत ढंग से उक्त वाद लाकर आवेदक विपक्षीगण को परेशान करना चाहते हैं। प्रासंगिक भूमि विवाद पूर्व में ही समाप्त हो गया है। यदि आवेदक चाहे तो नक्सा के मुताबिक पुनः जमीन का पैमाइस कराकर नक्सा को सत्यापित कर सकते हैं। विपक्षीगण को इससे कोई आपत्ति नहीं है। विपक्षीगण में बबलू कुमार की मृत्यु हो गई है, केवल चंदन कुमार पक्षकार हैं। साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक भूमि का पर्चा, नाजिर रसीद प्रपत्र की छाया प्रति, अमीन द्वारा समर्पित नापी प्रतिवेदन की छाया प्रति, विपक्षी बबलू कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति समर्पित करते हुए नक्सा के अनुसार प्रासंगिक भूमि नापी हेतु सरकारी अमीन नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, मेहरमा ने अपने पत्रांक–1130/रा0, दिनांक–06.12.2019 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि प्रासंगिक दाग नं0–200, रकवा–00–09–02 धूर भूमि मकानमय सहन तथा जमाबंदी रैयत गोपी राम वल्द भग्गू राम, कौम चंदो कुरमी साकिन देह दाग नं0–198, रकवा–08–00–03 धूर भूमि मकानमय सहन पर्चा में दर्ज है। जमाबंदी नं0–18, दाग नं0–200 तथा जमाबंदी नं0–13, दाग नं0–198 के बीच सीमा का विवाद है। आवेदक के घर के पं0 तरफ विपक्षी का घर बना हुआ है। अंचल अमीन के द्वारा दिनांक–30.07.2016 तथा विपक्षी के प्राईवेट अमीन की मौजूदगी में प्रासंगिक भूमि की मापी की गई थी। अंचल अमीन के द्वारा दाग नं0–200 जमाबंदी रैयत के वारिसान नंदकिशोर राम, पे0–जदु राम को छः फीट तीन ईंच चौड़ाई एवं 80 फीट लं0 जमीन देकर मामले का निष्पादन किया गया था, जिससे विपक्षीगण मानने से इंकार कर दिये थे। अंचल अमीन द्वारा प्रासंगिक भूमि का मापी कर छः फीट तीन ईंच चौड़ाई एवं 80 फीट लं0 भूमि आवेदक के पिता को दिया गया। आवेदक के द्वारा बताया गया कि विपक्षी के द्वारा उनके हिस्से की जमीन को कब्जा कर मकान निर्माण किया गया है, जिसका उपयोग किया जा रहा है। अमीन के मापी प्रतिवेदन पर उभय पक्षों का हस्ताक्षर अंकित है। अंचल निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि विवादित दाग नं0–200, जमाबंदी नं0–18, मौजा–बलबड्डा खतियान में दर्ज है। आवेदक किस्म जमाबंदी रैयत जदु राम के वंसज हैं। विपक्षीगण दखल अवैध माना जा सकता है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रासंगिक भूमि आवेदक की रैयती भूमि रहने के कारण आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को स्वीकृत करते हुए प्रासंगिक भू–भाग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा–20 एवं 42 के तहत् विपक्षीगण को उच्छेद किया जाता है। तदनुसार प्रासंगिक भूमि पर एक माह के अंदर आवेदक को दखल दिलाने हेतु अंचल अधिकारी, मेहरमा को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

30/9/21
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30/9/21
अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30.09.2021

Seen
04/10/21

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.02.03 13:01:13 +05:30
Location: 192.168.8.107